

राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर

आज्ञा

कमांक:-स्था.(रा.न्या.से.)/सं.प.अ./ 33 /2022 दिनांक : 22.02.2022

श्रीमती सुरभि सिंह (RJ0999), सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट, वैर (भरतपुर) को दिनांक 02.03.2022 से 08.03.2022 तक 07 दिनों का संतान परवरिश अवकाश (Child Care Leave) दिनांक 01.03.2022 के राजपत्रित अवकाश के उपभोग की अनुमति सहित स्वीकृत किया जाता है।

श्रीमती सिंह की अनुपस्थिति में वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश एवं अति. मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, वैर (भरतपुर) इनके आवश्यक एवं दैनिक कार्य की देखभाल करेंगे।

अवकाश से लौटने पर इनकी नियुक्ति सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट, वैर (भरतपुर) के पद पर ही होने की संभावना है।

अज्ञा से
रजिस्ट्रार (वर्गीकरण)
21.02.2022

कमांक:-स्था.बी.2(4)/162/2015/1425 दिनांक : 22.02.2022

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :

1. प्रमुख शासन सचिव, विधि एवं विधिक कार्य विभाग राजस्थान, जयपुर।
2. जिला एवं सेशन न्यायाधीश, भरतपुर को उनके पत्रांक 1132 दिनांक 15.02.2022 के सन्दर्भ में।
3. श्रीमती सुरभि सिंह (RJ0999), सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट, वैर (भरतपुर)।
4. सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट, वैर (भरतपुर)।
5. वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश एवं अति. मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, वैर (भरतपुर)।

सहायक रजिस्ट्रार